रजिस्ट्री सं० डी–(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 334] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 1, 1974/श्रावण 10, 1896
No. 334] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 1974/SRAVANA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDERS

New Delhi, the 1st August 1974

S.O. 465(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for maintaining and increasing supplies of paper, an essential commodity;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Paper (Control of Production) Order, 1974.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "coloured printing paper" means the common type of coloured printing paper of uniform formation, evenly finished and free from specks, holes or other blemishes, and suitable for printing;

(b) "cream laid or wove paper" means ordinary white or creamy writing paper, containing laid or wove marks, and having a smooth surface for writing;

(c) "duplicating paper" means any unsized or half-sized paper of absorbent nature used for making copies by means of cyclostyling;

(d) "manufacture" means the process by which a manufacturer produces finished paper or paper board;

(e) "manufacturer" means a manufacturer of paper or paper boards or both, and registered with the Director General of Technical Development, Government of India;

(f) "offset or litho paper" means paper suitable for offset or litho printing process;

(g) "paper and paper board" means material commonly known as paper and paper boards, and includes packing paper, wrapping paper and speciality paper but does not include newsprint;

(h) "typing paper" means strong paper, bearing either laid or wove marks, half-sized and specially glazed for use on typewriters;

(i) "white printing paper" means the common type of white printing paper of uniform formation, evenly finished and generally free from specks, holes or other blemishes, and suitable for printing;

(j) "quantity" means quantity by weight.

3. **Regulation of production of paper.**—Every manufacturer shall manufacture in respect of every month commencing on and from the 1st day of August, 1974, and every quarter commencing on and from the 1st day of October, 1974—

(a) white printing paper upto the extent of at least 30 per cent of the total quantity of paper and paper boards manufactured by him during the month or the quarter, as the case may be;

(b) cream laid or wave paper upto the extent of at least 16 per cent of the total quantity of paper and paper boards manufactured by him during the month or the quarter, as the case may be;

(c) coloured printing paper upto the extent of at least 1.5 per cent of the total quantity of paper and paper boards manufactured by him during the month or the quarter, as the case may be;

(d) duplicating paper upto the extent of at least 2.5 per cent of the total quantity of paper and paper boards manufactured by him during the month or the quarter, as the case may be;

(e) off-set and litho paper upto the extent of at least 6.5 per cent of the total quantity of paper and paper boards manufactured by him during the month or the quarter, as the case may be;

(f) typing paper upo he extent of at least 0.5 per cent of the total quantity of paper and paper boards manufactured by him during the month or the quarter, as the case may be.

4. **Exemption.**—Nothing in this Order shall apply to a manufacturer who produces less than twenty tonnes of paper and paper boards per day.

5. **Variation of the percentages specified in clause 3.**—Where the installed capacity of a manufacturer is not sufficient to manufacture paper according to the percentages specified in clause 3, he shall manufacture white printing paper to the extent specified in sub-clause (a) of the said clause and shall manufacture the other varieties specified in sub-clauses (b) to (f) of the said clause in proportion to the percentages specified therein.

6. **Power to exempt.**—The Central Government may, having regard to the fact that the installed capacity of a manufacturer is for the manufacture of certain specialised varieties of paper or to the fact that a manufacturer cannot produce white printing paper to the extent specified in sub-clause (a) of clause 3 except at a heavy cost, by Order, exempt such manufacturer from the whole or part of the requirement of sub-clause (a) of clause 3 for such period as may be specified in such Order.

7. **Specifications of white printing paper.**—(1) The white printing paper required to be manufactured under clause 3 shall be tinted with blue, pink or colours in such proportions as the Central Government may, from time to time, specify and its weight shall not exceed 60 grams per square metre.

(2) The white printing paper shall also conform to the specifications for white printing paper notified by the Indian Standards Institution from time to time.

(3) No manufacturer shall manufacture any other variety of paper tinted with blue, pink or other colour with which white printing paper is required to be tinted under sub-clause (1).

8 **Maintenance and production of books, accounts, etc.**—(1) Every manufacturer shall keep books of accounts and other records relating to the types of machineries installed in his factory, the production capacity of each machinery, the manufacture and sale of paper and paper boards.

(2) Every such book, account or record, shall, when so required, be produced for inspection before the Central Government or any other officer specified by that Government in this behalf.

(3) Every manufacturer shall furnish to the Central Government such returns in such manner and at such times as the Central Government may specify.

[No. F. 14(1)/74-Paper]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1974

का० आ० 465 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि कागज के, जो एक आवश्यक वस्तु है, रखने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ**.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कागज (उत्पादन पर नियंत्रण) आदेश, 1974 है,

(2) इसका विस्तार समस्त भारत पर होगा ।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** .—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "रंगीन छपाई कागज" से तात्पर्य छपाई के लिए सामान्य प्रकार का रंगीन कागज अभिप्रेत है, जो एक सा बना हो, और जो धब्बों, छिद्रों तथा अन्य दोषों से रहित हो, और छपाई के लिए उपयुक्त हो ;

(ख) "क्रीम लेड या वोव कागज" से लिखाई में प्रयुक्त सामान्य सफेद या चिकना कागज अभिप्रेत है जिसमें लेड या वोव के निशान हों, और जिसकी सतह लिखने के लिए चिकनी हो ;

(ग) "डुप्लीकेटिंग कागज" से साइक्लोस्टाइल मशीन से प्रतियां बनाने में प्रयुक्त अवशोषक किस्म का कोई भी बिना निर्दिष्ट माप का या आधे माप का कागज अभिप्रेत है ;

(घ) "विनिर्माण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिस के द्वारा कोई विनिर्माता तैयार कागज या कागज के गत्ते का उत्पादन करता है ;

(ङ) "विनिर्माता" से कागज अथवा कागज का गत्ता या दोनों का विनिर्माता अभिप्रेत है और जो तकनीकी विकास महानिदेशालय, भारत सरकार के यहां रजिस्ट्रीकृत हो;

(च) "आफ्सेट या लीथो कागज" से वह कागज अभिप्रेत है जो आफ्सेट या लीथो प्रक्रिया से छपाई के लिए उपयुक्त हो ;

(छ) "कागज और कागज गत्ते" से वह सामग्री अभिप्रेत है जो साधारण तया कागज तथा कागज गत्ता के रूप में जानी जाती है, और जिनमें पैक करने का कागज लपेटने का कागज, तथा विशिष्ट प्रकार का कागज भी शामिल है लेकिन इसमें अखबारी कागज शामिल नहीं है ;

(ज) "टाइप का कागज" से ऐसा पक्का कागज अभिप्रेत है जिस पर या तो लेड का या वोव के निशान हों, आधीमाप का हो और जिसे टाइप मशीनों पर प्रयोग के लिए विशेष रूप से चमकाया गया हो ;

(झ) "छपाई का सफेद कागज" से छपाई के लिए सामान्य प्रकार का सफेद कागज अभिप्रेत है जिसकी बनावट एक सी हो, जो एक्सार हो तथा सामान्यतया धब्बों, छिद्रों या अन्य दोषों से रहित हो और छपाई के लिए समुपयुक्त हो ;

(ञ) "परिमाण" से भार द्वारा परिमाण अभिप्रेत है ।

3. **कागज के उत्पादन का विनियमन.**—प्रत्येक विनिर्माता 1 अगस्त, 1974 को / से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक मास में और 1 अक्तूबर, 1974 को/ से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक तिमाही में निम्नलिखित कागज का उत्पादन करेगा :—

(क) यथास्थिति सम्बन्धित मास या तिमाही के दौरान, उसके द्वारा विनिर्मित कागज तथा कागज के गत्ते की कुल मात्रा का कम से कम 30 प्रतिशत छपाई का सफेद कागज ;

(ख) यथास्थिति किसी मास या तिमाही के दौरान, उसके द्वारा विनिर्मित कागज तथा कागज के गत्ते की कुल मात्रा का कम से कम 16 प्रतिशत कोई लेड या वोव कागज ;

(ग) यथास्थिति किसी महीने या तिमाही के दौरान, उसके द्वारा विनिर्मित कागज तथा कागज के गत्ते की कुल मात्रा का कम से कम 1.5 प्रतिशत छपाई का रंगीन कागज ;

(घ) यथास्थिति, किसी मास या तिमाही के दौरान, उसके द्वारा विनिर्मित कागज और कागज के गत्ते की कुल मात्रा का कम से कम 2.5 प्रतिशत तक डुप्लीकेटिंग कागज ।

(ङ) यथास्थिति किसी मास या तिमाही के दौरान, उसके द्वारा विनिर्मित कागज तथा कागज के गत्ते की कुल मात्रा का कम से कम 6.5 प्रतिशत आफ्सेट तथा लीथो कागज;

(च) यथास्थिति किसी मास या तिमाही के दौरान, उसके द्वारा विनिर्मित कागज तथा कागज के गत्ते की कुल मात्रा का कम से कम 0.5 प्रतिशत टाइप का कागज ।

4. **छूट.**—इस आदेश की कोई भी बात उस विनिर्माता पर लागू नहीं होगी जो प्रतिदिन 20 मीटरी टन से कम कागज तथा कागज के गत्तों का उत्पादन करता है ।

5. **खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतों में भिन्नता.**— जहां किसी विनिर्माता की प्रतिष्ठापित क्षमता खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार कागज के विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं

है, वहां वह उक्त खण्ड के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मात्रा तक छपाई के सफेद कागज का और उक्त खण्ड के उपखण्ड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट अन्य किस्म के कागज का उत्पादन उन में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के अनुपात में विनिर्माण करेगा

6. **छूट देने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किस विनिर्माता की प्रतिष्ठापित क्षमता कुछ विशेष प्रकार के कागज का विनिर्माण करने की है अथवा निर्माता खण्ड 3 के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट छपाई के सफेद कागज का विनिर्माण विनिर्दिष्ट मात्रा में भारी लागत के बिना नहीं कर सकता, आदेश, द्वारा ऐसे विनिर्माता को खण्ड 3 के उपखण्ड (क) की अपेक्षा में पूर्णतः या भागतः उस अवधि तक के लिए छूट दे सकेगी जो इस प्रकार के आदेश में निर्दिष्ट की जाए ।

7. **सफेद छपाई के कागज की विशिष्टियां.**—(1) खण्ड 3 के अधीन विनिर्माण के लिए अपेक्षित सफेद छपाई के कागज नीले, गुलाबी तथा अन्य रंगों से ऐसे अनुपात में रंगा जाएगा जैसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे तथा उसका भार प्रति वर्गमीटर 60ग्राम से अधिक नहीं होगा ।

(2) सफेद छपाई का कागज भारतीय मानक संस्था द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विशिष्टियों के अनुरूप होगा ।

(3) कोई भी विनिर्माता किसी अन्य किस्म के कागज को नीले, गुलाबी तथा अन्य रंग से उस प्रकार नहीं रंगेगा जैसा खण्ड (1) के अधीन सफेद छपाई का कागज रंगा जाता है ।

8. **बहियां, लेखाएं आदि का रखा जाना तथा पेश किया जाना आदि.**—(1) प्रत्येक निर्माता अपने कारखाने में अधिष्ठापित मशीनरी के प्रकार प्रत्येक मशीन की उत्पादन क्षमता, कागज तथा गत्ते के विनिर्माण और विक्रय से सम्बन्धित लेखा बहिए तथा अन्य अभिलेखा रखेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक बही लेखा तथा अभिलेख निरीक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष अपेक्षा की जाने पर पेश किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक निर्माता, केन्द्रीय सरकार को ऐसी विवरणियां ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर देगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

[सं० फा० 14 (1)/74—पेपर]

S.O. 466(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for maintaining and increasing supplies of paper, an essential commodity, and for securing its equitable distribution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Paper (Conservation and Regulation of Use) Order, 1974.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the 1st day of September, 1974.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "advertisement or propaganda material" means posters, leaflets, hand-outs or any other material printed on one or more sheets with a view to forming a single composite design and distributed with a view to propagating any idea;

(b) "art paper" means paper thinly coated on both sides with any substance which produces a smooth surface;

(c) "balance sheet" means any document described as such, and includes a profit and loss account and any other statement of account;

(d) "calendar" means sheets of paper indicating the date, or month, or both, of a year, whether or not containing any corresponding date of any other era, picture, advertisement, propaganda material or other infomation;

(e) "chrome paper" means paper thinly coated on one side with any substance which produces a smooth surface;

(f) "diary" means a book which indicates dates of different months of a year with some space against each such date for making a daily record of events, whether or not containing any printed material, advertisement or propaganda material;

(g) "imitation art paper" means highly finished printing paper, manufactured by the addition of china clay to the pulp, and water-finshed or super-calendered;

(h) "invitation or greeting card" means sheet or sheets of paper printed with any message of invitation or greeting;

(i) "Paper" includes writing paper, packing paper, wrapping paper and specially paper, but does not include a newsprint.

3. **Regulation of use of paper.**—No person shall print or cause to be printed,—

(i) any advertisement or propaganda material or any kind in a sheet, the total surface area of one side of which exceeds 3900 square centimetres;

(ii) a dairy, if the total surface area of all the pages contained therein exceeds 63,000 square centimetres;

(iii) a clendar—

(a) on art paper, imitation art paper or chrome paper, if the surface area of one side of a sheet, or where there are more than one sheet, the aggregate surface area of one side of all such sheets, exceeds 2000 square centimetres;

(b) on any paper, other than art paper, imitation art paper or chrome paper, if the surface area of one side of a sheet, or where there are more than one sheet, the aggregate surface area of one side of all such sheets, exceeds 8700 square centimetres;

(iv) any balance sheet, house magazine, leaflet or letter heads issued or made by a company on art paper, imitation art paper or chrome paper:

Provided that nothing in this sub-clause shall apply to the printing of covers of such balance sheet, house magazine, leaflet or sheets containing any diagramatic presentation;

(v) any invitation or greeting card, if the surface area of one side of a sheet, or where there are more than one sheet, the aggregate surface area of one side of all such sheets, exceeds 500 square centimetres.

4. **Exemption.**—Nothing in this Order shall apply to—

(i) any paper or printed material meant or used exclusively for export;

(ii) any paper or printed material made or printed in pursuance of any firm and irrevocable order placed before the 1st day of August, 1974

(iii) any printed material the cost of which is paid in foreign exchange;

(iv) any printed material intended for the promotion of tourism.

[No. F. 14(2)/74-Paper]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

का० आ० 466 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि कागज के, जो एक आवश्यक वस्तु है, समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उसका प्रदाय बनाए रखना तथा उसमें वृद्धि करना, आवश्यक तथा समीचीन है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10 वां) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कागज (संरक्षण तथा प्रयोग विनियमन) आदेश, 1974 है ।

(2) इसका विस्तार समस्त भारत पर है ।

(3) यह 1 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विज्ञापन या प्रचार सामग्री" से किसी भी विचार का प्रचार करने के उद्देश्य से वितरित किए जाने वाले पोस्टर, लीफलेट, पर्चे या अन्य किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो एक अकेली पूर्ण डिजाइन में तैयार करके कागज के एक या एक से अधिक तावों पर छापी गई हो ;

(ख) "आर्ट पेपर" से वह कागज अभिप्रेत है जिसके दोनों ओर चिकनी सतह बनाने वाले पदार्थ की पतली सतह चढ़ाई गई हो;

(ग) "तुलनपत्र" से इस प्रकार वर्णित कोई अभिलेख अभिप्रेत है जिसमें लाभ-हानि-लेखा तथा लेखाओं के अन्य विवरण शामिल हों;

(घ) "कलेण्डर" से कागज के ऐसे ताव अभिप्रेत है जिन पर वर्ष की तारीख या मास अथवा दोनों उपदर्शित किए गए हों, चाहे उसमें तत्सम्बन्धी किसी अन्य वर्ष की तारीख, चित्र, विज्ञापन, प्रचार सामग्री अथवा अन्य कोई भी आनकारी दी गई हो या नहीं;

(ङ) "क्रोम कागज" से ऐसा कागज अभिप्रेत है जिसके एक ओर कोई ऐसा पदार्थ लगाया गया हो जिससे कागज चिकना हो जाता है ;

(च) "डायरी" से ऐसी पुस्तक अभिप्रेत है जिसमें किसी वर्ष के विभिन्न मासों की तारीखें तथा महीने, दैनिक घटनाओं का विवरण लिखने हेतु तारीखों के सामने कुछ स्थान छोड़ा गया हो, चाहे उसमें कोई मुद्रित सामग्री, विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री हो या नहीं;

(छ) "अनुकृति आर्ट कागज" से उच्च कोटि का छपाई कागज अभिप्रेत है तथा जो लुगदी में चीनी मिट्टी मिला कर बनाया गया हो तथा जल द्वारा परिष्कृत हो अथवा जिस पर उच्च कोटि की इस्त्री की गई हो;

(ज) "नियंत्रण अथवा बधाई पत्र" से कागज का ऐसा ताव या ऐसे ताव अभिप्रेत है जिस पर या जिन पर निमंत्रण अथवा बधाई का कोई सन्देश मुद्रित हो;

(झ) "कागज" में लिखने का कागज, पैकिंग करने का कागज, बैष्टन कागज तथा विनिष्ट कागज सम्मिलित है, किन्तु इसमें अखबारी कागज शामिल नहीं है ।

3. **कागज के उपयोग का विनियमन.**—कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित को न छापेगा न छपवाएगा :—

(1) कागज के किसी ताव पर किसी प्रकार का ऐसा विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री, जो उसकी एक ओर 3900 वर्ग सैंटीमीटर से अधिक में आता हो,

(2) ऐसी डायरी जिसके सभी पृष्ठों का कुल विस्तार 63,000 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक हो,

(3) ऐसा कैलेण्डर—

(क) जो आर्ट कागज, अनुकृति आर्ट कागज या क्रोम कागज पर हो, जब कि एक ताव का या जहां एक से अधिक ताव हों, वहां सबका एक ओर का कुल विस्तार 2000 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक हो,

(ख) जो आर्ट कागज, अनुकृति आर्ट कागज या क्रोम कागज से भिन्न किसी कागज पर हो, जबकि एक ताव का या जहां एक से अधिक ताव हों, वहां सबका एक ओर का कुल विस्तार 8700 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक हो,

(4) आर्ट कागज, अनुकृति आर्ट कागज, अथवा क्रोम कागज पर किसी कम्पनी द्वारा जारी किया गया अथवा बनाया गया कोई तुलन-पत्र, घरेलू मैगजीन, पर्चियां अथवा शीर्षनामा;

परन्तु इस उपखण्ड की कोई भी बात ऐसे तुलनपत्र, घरेलू मैगजीन, पर्चियां तावों की छपाई को लागू नहीं होगी जिसमें कोई आरेखी उपस्थापन हो ।

(5) निमंत्रण अथवा बधाई पत्र, यदि किसी ताव के केवल एक ओर का अथवा जहां एक से अधिक ताव हों, वहां सभी तावों के एक ओर का कुल विस्तार 500 वर्ग सें० मी० से अधिक हो,

4. **छूट.**—इस आदेश की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(1) ऐसे कागज अथवा मुद्रित सामग्री जो पूर्णरूपेण निर्यात के लिए हो या उपयोग में लाई जाती हो;

(2) ऐसा कागज अथवा मुद्रित सामग्री जो किसी फर्म के निदेश पर बनाया गया हो या मुद्रित किया गया हो और जिसके लिए 1 अगस्त, 1974 से पूर्व अप्रतिसंहरणीय आदेश दे दिया गया हो;

(3) ऐसी कोई भी मुद्रित सामग्री जिसकी लागत का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया हो;

(4) ऐसी कोई भी मुद्रित सामग्री जिसका आशय पर्यटन की अभिवृद्धि करना है ।

[सं० फा० 14(2)/74—पेपर]

अरुण कुमार घोष, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974